दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का रायबरेली जिले के ब्लॉक खीरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(Social Attitudes and Behavioural Patterns towards Persons with Disabilities : A Sociological Study of Khiron Block of Raebareli District)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विभाग से

एम0फिल0 की उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध सारांश

शोध निर्देशक
आचार्य जया श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग

शोधार्थी
ममता
एम0फिल0
नामांकन सं0–309/18

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ–226025
2022

शोध–सारांश

प्रस्तुत अध्ययन दिव्यांगजनों के प्रति समाज में व्याप्त सामजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करता है।

आम तौर पर यह माना जाता है कि दिव्यांग लोगों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की एक बड़ी संख्या सामाजिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है (Antonak & Livneh, 2000)। दिव्यांगता एक जटिल घटना है जो न केवल किसी विशेष व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क को बल्कि उसके परिवेश को भी कष्टदायी बनाती है। दिव्यांगता अक्सर सामाजिक–सांस्कृतिक कलंक के साथ जुड़ी हुयी होती है जिसके कारण दिव्यांग लोगों को हाशिए पर रखा जाता है और बहिष्कृत किया जाता है। विकलांगता की अवधारणा को विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया गया है क्योंकि इसके दृष्टिकोण और अनुभवों में कई अंतर–सांस्कृतिक भिन्नताएं (Cross-Cultural Differences) हैं (Saini and Kapoor, 2020)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (2001) विकलांगता को एक व्यापक शब्द (Umbrella Term) के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें शारीरिक दुर्बलताओं के कई पहलुओं, गतिविधि की सीमाओं (Activity limitations) और प्रतिभागी प्रतिबंधों (participant restrictions) को शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2001) का जैव–सामाजिक मॉडल कार्य, दिव्यांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, दिव्यांगता को किसी व्यक्ति की हानि और भौतिक–सामाजिक वातावरण जिसमें वह रहता है, के बीच नकारात्मक पारस्परिक विचार–विमर्श के परिणाम के रूप में स्वीकार करता है (Agmon et. Al. 2016)।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2006) विकलांगता को "एक विकसित अवधारणा" के रूप में वर्णित करता है, जो दिव्यांग व्यक्तियों की मनोवृत्ति और पर्यावरणीय बाधाओं के पारस्परिक विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप होता है जो दूसरों के साथ समानता के आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है दिव्यांगता को केवल

चिकित्सा अवधारणा के सन्दर्भ में नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक समग्र अनुभव के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसमें दिव्यांगजनों से सम्बंधित सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण हों (Saini and Kapoor, 2020)।

हालाँकि, 16वीं शताब्दी के दौरान, लूथर और जॉन केल्विन जैसे ईसाइयों मानसिक रूप से मंद और अन्य दिव्यांगजनों को बुरी आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों के रूप में दर्शाया। इस प्रकार, उस समय के इन पुरुषों और अन्य धार्मिक नेताओं ने मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए दिव्यांगजनों का हमेशा आत्माओं को भगाने के साधन के रूप में प्रयोग किया (Thomas, 1957)।

19वीं शताब्दी में, सामाजिक डार्विनवाद के समर्थकों ने गरीबों और विकलांगों को राज्य सहायता का विरोध किया तथा उन्होंने दिव्यांगता के विरोध में यह तर्क दिया कि "अनफिट" का संरक्षण प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में बाधा डालेगा और संतान के लिए आवश्यक "सर्वश्रेष्ठ" या "योग्यतम" तत्वों के चयन में हस्तक्षेप करेगा (Hobbs, 1973)।

वर्तमान समय में दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों की स्थिति :

वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के हित में कई कार्यक्रम व योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे वह लाभान्वित हो रहे हैं योजनाओं का लक्ष्य समाज में समानता को स्थापित करना है दिव्यांग छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया गया है दिव्यांग छात्र विषमताओं के कारण शिक्षण–प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनका जीवन स्वावलंबी नहीं बन पाता है अतः इच्छुक छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जाता है। दिव्यांगजनों हेतु आश्रित कर्मशालाये जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। दिव्यांगजनों के लिए राजकीय प्रशिक्षण केंद्र एवं आश्रित कर्मशालाये टिहरी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ एवम् नैनीताल में संचालित है इन कर्मशालाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को मोमबत्ती,साबुन, हथकरघा, स्वेटर, शाल बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 से कंप्यूटर संचालित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है पेंशन के रूप में दिव्यांगजनों को

रू0 500 की धनराशि प्रति माह प्राप्त होती थी जो कि यह धनराशि 2016 से पूर्व थी वर्तमान समय में इस धनराशि को बढ़ाया गया है जो कि रू0 1000 प्रति माह है इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना सरकार ने अनगिनत योजनाओं को लागू किया है जिससे दिव्यांगजनों को बेहतर वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हे जीवन निर्वाह की समस्या ना रहे।

शोध अध्ययन की समस्या :

शोधार्थी का शोध शीर्षक दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवम् व्यवहार प्रतिमानो का रायबरेली जिले के ब्लॉक खीरों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है इसके अंतर्गत शोधार्थी ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों, व्यवहार प्रतिमान आदि को जानना चाहता है कि परिवार, पड़ोस एवं समुदाय के लोगों का दिव्यांगजनों के प्रति कैसा व्यवहार होता है स्कूल मित्र मंडली का व्यवहार एवं अभिवृत्ति को समझा है। दिव्यांगजनों से समाज में लोग अलग–अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। समाज की मानसिकता कैसी है और सामाजिक व्यवहार कैसा है या अंतर्संबंध एवं अंतः क्रिया कैसे स्थापित करते हैं। यह शोध अध्ययन की आधारशिला है। प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के ब्लॉक खीरों तक ही सीमित रखा गया है इस शोध अध्ययन के लिए ब्लॉक खीरो को चयनित किया गया है ।

अध्ययन का महत्त्व :

एक राष्ट्र उसके समस्त नागरिकों से अस्तित्व ग्रहण करता है किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं एवम् पुरुषों का समान योगदान होता है फिर वह चाहे जिस धर्म व जाति का सदस्य हो किसी के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता किसी भी समाज की पहचान उसके नागरिकों पर निर्भर होती है किसी भी देश का भविष्य उसके स्वस्थ्य व सशक्ता नागरिकों की देन है जिस प्रकार से शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति समाज के विकास में अपना योगदान प्रदान करते है ठीक उसी प्रकार से दिव्यांगजन समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। हमारे देश में जनगणना 2001 के अनुसार लगभग 2.19 करोड़ से भी अधिक दिव्यांगजन हैं जिनमें से 70% दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और शहरी क्षेत्रों में लगभग 0.81 करोड़ दिव्यांगजन

निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 49% दिव्यांग आबादी साक्षर जबकि शहरी क्षेत्रों में 67% दिव्यांग आबादी साक्षर है।

समाज के विकास व और राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान प्रदान करता है, इसलिए देश के विकास लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता व समायोजन की आवश्यकता पर भी विषेश ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगजन पूर्ण रूप से समानता के अभाव में रहते हैं अतः सरकार के द्वारा दी गई योजना का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते वित्तीय सहायता के अभाव में स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता हैं। सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में जिसमें न्याय की नीति भी शामिल है जो दिव्यांगजनों को समाज में समानता पर बल देता है। आज भी दिव्यांगजन समाज में तनावपूर्ण समस्याग्रस्त स्थिति में रहते हैं। दिव्यांगजनों को समाज में जिज्ञासा के कारण बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ता है जिनका उत्तर देने में वे असमर्थ रहते हैं। इसलिए शोधार्थी प्रस्तुत शोध में समाज की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का आंकलन किया गया है।

शोध उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध अध्ययन दिव्यंगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानो पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है–

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों, परिवार, पड़ोस एवं समुदाय की अभिवृत्तियों को समझना।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांग जनों के प्रति समाज के सदस्यों के व्यवहार के प्रतिमानो को समझना।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानो में अंतर्संबंध तथा इन दोनों में अंतर विश्लेषण करना।

शोध उपकल्पना :

अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधान के संबंध में जो कल्पना की जाती है उसी को परिकल्पना कहते हैं परिकल्पना की सहायता से हम जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं ।

1. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों, परिवार ,पड़ोस एवं समुदाय में सकारात्मक अभिवृत्ति तथा दया ,करुणा ,सहयोग आदि परिलक्षित होती है ।
2. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानो में उतार–चढ़ाव सकारात्मक व नकारात्मक देखने को मिलता है ।
3. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान में अंतर होता है ।

शोध अध्ययन से सम्बंधित शोध प्रविधियां :

शोध अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध अध्ययन– शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में ब्लाक खीरों का चयन किया है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करना है समाज में दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक व्यवहार बना रहता है जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों का हशियाकरण (बहिष्करण) होता है अतः शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध में दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों का आकलन करने का प्रयास किया है तथा प्रस्तुत शोध अध्ययन को खीरों क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया है। खीरों ब्लॉक रायबरेली जिले में स्थित है, इसकी कुल जनसंख्या 1,82,586 है तथा पुरूष और महिला जनसंख्या क्रमशः 93733 और 88813 है। इसका जनसंख्या घनत्व 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

शोध निर्दशन :

प्रस्तुत शोध समस्या तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुविधाजनक निदर्शन (Convenience Sampling) का प्रयोग किया गया है इसमें शोधार्थी ने अपनी सुविधा के अनुसार निदर्शन चुनाव किया है, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु 75 उत्तरदाताओं

को निदर्शन के रूप में चयन किया गया है इनमें से 75 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों का संग्रहण किया गया है तथा द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रकाशित, अप्रकाशित लेख पुस्तकों समाचार पत्रों आदि तत्व पर आधारित हैं।

शोध प्रविधि (Research method) :

प्रस्तुत शोध प्रविधि में शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मात्रात्मक शोध प्रविधि (Quantitative Method) का उपयोग किया गया है तत्पश्चात् वर्णनात्मक शोध प्रविधि (Descriptive Method) का उपयोग किया गया है तथा तथ्य संकलन के हेतु प्राथमिक एवम् द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक स्रोतों के रूप में उत्तरदाताओं का साक्षात्कार अनुसूची विधि द्वारा तथ्यों का संग्रहण किया गया है। और द्वितीयक स्रोतों में प्रकाशित, अप्रकाशित लिखें, समाचार पत्र, किताबें आदि तत्वों का उपयोग किया गया है।

तथ्य संकलन के उपकरण :

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची विधि का प्रयोग किया गया है। तथा आंकड़ों के संकलन हेतु संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया जिसमें दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों, व्यवहार, प्रतिमानों को समझने से संबंधित प्रश्नो को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा उत्तरदाताओं से संबंधित सूचनाएं संकलित करने का प्रयास किया गया है साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण इस प्रकार किया गया है जिसमें शोध अध्ययन से संबंधित उपकल्पनाओं की अच्छी तरह से जांच संभव हो सके तथा साक्षात्कार विधि के माध्यम से व्यवहार, प्रतिमानो से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। इस अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक खीरों में उत्तरदाताओं से मिलकर वांछित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया है।

संकलित आंकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण एवं व्याख्या की प्रविधि :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को संकलित कर संपादन प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है कि समस्त सूचना संकलित कर ली गई हैं।

संकलित एवम् सम्पादित सूचना का वर्गीकरण कर के इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। समस्त संकलित सूचना का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्ध करने के पश्चात इसका विश्लेषण सांख्यकीय व तार्किक आधार पर किया गया है। आंकड़ों के सांख्यकीय विश्लेषण करने के लिए तालिका का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के निष्कर्ष के आधार पर विवरणात्मक रूप से प्रतिवेद आलेख तथा अध्ययन की प्राप्तियों के आधार पर उपयोगी सुझावों को प्रस्तूत किया किया गया है।

निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध में दिव्याजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों में दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों को मापने हेतु साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गयी है जिसके माध्यम से शोधार्थी ने दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों को मापा है।

दिव्यांगजन सामाजिक रूप से बहिष्कृत है उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिएं तभी वे सामाजिक रूप से समायोजित हो सकते है।

समाज में रह रहे लोगो की अभिवृत्ति दिव्यांगजनों के प्रति सहयोगात्मक है, समाज में रह रहे लोगों का मानना है कि दिव्यांगजन शिक्षित होंगे तभी वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे, दिव्यांगजन समाज के विकास में पूर्ण रूप से सहयोग कर सकते है, दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी अन्य गैर–दिव्यांग व्यक्ति की तरह समारोहो में शामिल होना चाहिएं। इस शोध में पाया गया है कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति उनके परिवार एवं पड़ोस की अभिवृत्ति और व्यवहार सकारात्मक है, गैर–दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग व्यक्तिों की समस्याओं और चुनौतियों को समझतें है, सरकारी संस्थानो में कर्मचारियों का व्यवहार कम सहयोगात्मक रहता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में दिव्यांगजनों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार पूर्ण रूप से सहयोगात्मक होता है वही समाज में रह रहे ज्यादातर लोगों का मानना है कि दिव्यांग छात्रों को शारीरिक रूप से सक्षम छात्रों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करना चाहिएं जिससे कि दिव्यांगजनों का आत्मविश्वास बढ़े, समाज में रह रहे लोगो का माना है कि दिव्यांगजनों के प्रति गैर–दिव्यांगजनों का भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके समाजीकरण के कारण होता है, आज भी समाज में रह रहे शिक्षित व्यक्तिों का दिंव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्ति और व्यवहार

पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं है जबकि शिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि दिव्यांगजनों के प्रति उनका व्यवहार सकारात्मक होगा, शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से आंशिक रूप से अन्तःक्रिया करते है क्योकि उन्हे लगता है कि वे अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिएं उन पर निर्भर हो जाऐगे, पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है वे अपने आपका समाज की मुख्यधारा में जोड़कर अपने आपको समाज का हिस्सा समझने लगे है।

अध्ययन के परिणाम :

- कुल उत्तरदाताओं में से 53.3% उत्तरदाताओं ने जोकि लगभग आधे से अधिक है उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 9.3% उन उत्तरदाताओं का है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की है।
- कुल 100% उत्तरदाताओं में से से लगभग आधे से अधिक 57.4% उत्तरदाता हिंदू धर्म को मानने वाले है जबकि सबसे कम प्रतिशत 6.7% उत्तरदाताएं अन्य दूसरे धर्म को मानने वाले है।
- कुल 100% उत्तरदाताओं में से लगभग एक–चौथाई से अधिक 26.7% उत्तरदाताओं ने जोकि लगभग एक तिहाई से अधिक है, उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 12.0% उत्तरदाताएं ऐसे है जिन्होने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है।
- कुल 100% उत्तरदाताओं में से ज्यादातर 34.7% उत्तरदाताओं ने जिनकी संख्या लगभग एक तिहाई से अधिक है, वे स्वरोजगार करते है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 13.4% ऐसे है जो कि अन्य प्रकार के रोजगार करते है।
- कुल 100% उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 41.4% उत्तरदाता ऐसे है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से 3 लाख के मध्य में है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 4.0% ऐसे है जो जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है।

- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक 66.7% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिएं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 73.4% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों के प्रति उनकी अभिवुत्ति सहयोग की है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 44.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगता को संक्रमण जैसी बीमारी नहीं समझना चाहिए क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होती है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 80.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 73.3% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बच्चे के पास रहना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में समानता का अनुभव होगा।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 60.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि अगर किसी परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है तो आपका उस परिवार के सदस्यों के प्रति उत्तरदाताओं का व्यवहार सहयोगात्मक होता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 44.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजन समाज के विकास में पुर्ण रूप से सहयोग दे सकते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 85.4% उत्तरदाता कहते है कि यदि दिव्यांगजन अपनी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाते है तो उनकी शिकायत की अनदेखा की जाती है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 42.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति के उपचार में किया गया व्यय अलाभकारी है।

- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 96.0% उत्तरदाता कहते है कि परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 86.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारको में शैक्षणिक संस्थानो का उनके घर से दूर होना, निम्न आर्थिक स्थिति, शारीरिक अक्षमता, पारिवारिक सहयोग की कमी को मानते है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 70.6% उत्तरदाता दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय को लाभकारी मानते है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 52.0% उत्तरदाताओं ने क्या अधिकतर परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां होती हैं के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 58.6% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृति उपेक्षित होती हैं
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 90.7% उत्तरदाता पुर्ण रूप से सहमत है कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 92.0% % उत्तरदाताओं ने दिव्यांग व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 80.0% % उत्तरदाताओं ने कहां कि समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से कम 60.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम सहयोग हो सकता हैं।

- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 57.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति के प्रति उनकी अभिवृत्ति पूर्ण रूप से समझ सकते ळें
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 61.3% उत्तरदाता सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का कैसा व्यवहार होता है के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 56.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार सहयोग का होता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 77.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए क्योंकि समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 44.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक रूप से सक्षम छात्र अध्यन करते हैं उन संस्थानो में दिव्यांग छात्र को अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविशास बढेगा।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 50.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारिरिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो दिव्यांगजनों से भेदभाव करते हैं वह भेदभाव सीखा गया व्यवहार हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 38.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में आंशिक रूप से परिर्वतन आया है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 88.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस व रिश्तेदारों की नजर से छिपा कर रखने से दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस एवम् रिश्तेदारों के संपर्क में आने से समानता का अनुभव होगा।

- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से कम 68.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सभी प्रकार के दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 49.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 45.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 36.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में आंशिक रूप से तत्पर रहते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 46.6% मानते है कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 53.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के विचारों में परिवर्तन हुआ है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 46.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक परिलक्षित होते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 53.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं इसका मुख्य कारक दिव्यांगजनों से सम्पर्क हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 60.0% मानते है कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के विवरण में आप स्वयं को आंशिक रूप से सकारात्मक विचार पाते हैं।

सुझाव :

1. समाज के गैर–दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांग व्यक्यिों के प्रति जागरूक करना चाहिएं जिससे दिव्यांगजनों के प्रति उनका व्यवहार और अभिवृत्ति सकारात्मक हो सके।
2. दिव्यांगजनो के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की पूर्ण रूप से आवश्यकता है।
3. दिव्यांगजनों की भावनात्मकता को ध्यान में रखकर घर, परिवार, समाज आदि के स्थानों पर एक समान सम्मान देना चाहिए जिससे दिव्यांगजनों में सकारात्मकता का उद्भव हो सके।